संख्या-75/ 2024/1756/002-23-9002(002)/104/2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उन्नाव,
उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी, 2025

विषय - वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के नाबार्ड पोषित योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत जनपद उन्नाव के 01 चालू कार्य हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2948/ए-4, दिनांक 23.11.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के नाबार्ड वित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा पूर्व में स्वीकृत जनपद उन्नाव में बॉगरमऊ-सण्डीला मार्ग(अजिमा) के किमी 27 से बायें अरगूपुर सम्पर्क मार्ग के किमी 5 से दायें जुलाब खेड़ा सम्पर्क मार्ग के स्वीकृत/चालू कार्य हेतु रू0 46.29 लाख (रूपये छियालीस लाख उन्तीस हजार मात्र) की लैप्स/अवशेष धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल शासनादेश/	स्वीकृत लागत/ प्राविधिक लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	शासनादेश सं0-173/2022/1451/004-23-9-2022-04नाबार्ड(स0मा0)-2018, दि0 25.11.2022 द्वारा आवंटित/लैप्स धनराशि	अब तक आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उन्नाव	बॉगरमऊ-सण्डीला मार्ग(अजिमा) के किमी 27 से बायें अरगूपुर सम्पर्क मार्ग के किमी 5 से दायें जुलाब खेड़ा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	65/2020/288/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0)/2019, दि0 19.03.2019	99.97 99.97	8.69	91.28	46.29	44.99	46.29	46.29

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्ग को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2023, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ -4 में अंकित शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 46,29,000 (रुपये छियालीस लाख उनतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892700 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज/संबंधित मण्डालायुक्त ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
3- महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त।
7- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक।
8- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद।
9- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
10- अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, संबंधित खण्ड।
11- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/8
13- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
14- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
15- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in